मथुरा पुलिस

थाना- छाता जनपद मथुरा ।

OPERATION CONVICTION

दिनांक:- 25.02.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गले से सोने की चैन छीनने व जान से मारने की नियत से फायर करने वाले तीन अभियुक्तगण को 14-14 वर्ष के कारावास व 3000-3000/- रुपये के अर्थदंण्ड से दंण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना छाता मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 292/2012 धारा 392/307/34/411 भादवि बनाम प्रदीप डोगरा पंजाबी, शाहिद अली व दिनेश बैरवा, मु0अ0सं0 295/2012 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 बनाम शाहिद, मु0अ0सं0 294/2012 धारा 25 शस्त्र अधि0 बनाम प्रदीप डोगरा पंजाबी व मु0अ0सं0 296/2012 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 बनाम दिनश बैरवा में आज दिनांक 25.02.2026 को मा0 न्यायालय एडीजे-06,मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचारण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक अभियुक्तगण **1.प्रदीप डोगरा पंजाबी पुत्र चतर सिंह निवासी पालम गांव थाना पालम गांव ,नई दिल्ली 2.शाहिद अली पुत्र बन्ने खाँ निवासी RZF-180-DDA पार्क राजनगर ,थाना पालम गांव नई दिल्ली-45 व 3. दिनेश बैरवा राजस्थानी पुत्र हजारी लाल निवासी मंगलापुरी,पालम गांव ,एयर पोर्ट के पास ,थाना पालम गांव,नई दिल्ली-45 को 14-14 वर्ष के कारावास व 3000-3000/- रुपये के अर्थदंण्ड से दंण्डित किया गया ।**

हेमेन्द्र कुमार भारद्वाज
ADGC- MATHURA

उ0नि0 देशराज सिंह
(विवेचक)

का0 राहुल कुमार
(पैरोकार)